


253

361

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा

(म0प्र0)

RS284-II/16



1. नन्देश्वर प्रसाद शुक्ला तनय स्व0 मथुरा प्रसाद शुक्ला उम्र-75 वर्ष, B-301
  2. स्व0 कुन्देश्वर प्रसाद तनय स्व0 मथुरा प्रसाद
  - (अ). अंगद प्रसाद तनय स्व0 कुन्देश्वर प्रसाद उम्र-58 वर्ष,
  - (ब) रामकेश शुक्ला तथा स्व0 कुन्देश्वर प्रसाद शुक्ला 55 वर्ष
- उक्त सभी निवासी ग्राम अमवा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)  
-----निगराकारगण

बनाम

1. विनोद कुमार पाण्डेय तनय अनिरुद्ध पाण्डेय उम्र-37 वर्ष निवासी ग्राम दादर पोस्ट रहट तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)
2. ज्ञानेन्द्र कुमार पाण्डेय तनय अनिरुद्ध पाण्डेय
3. दीपनारायण शुक्ला तनय अंजनी प्रसाद शुक्ला उम्र-50 वर्ष, निवासी ग्राम अमवा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)
4. सन्तोष शुक्ला पूर्व हल्का पटवारी ग्राम अमवा तहसील हुजूर वृत्त बनकुइया जिला रीवा (म0प्र0) हाल पदस्थ भू-अभिलेखागार शाखा रीवा
5. सुशील शुक्ला पूर्व हल्का अमवा आर0आई0 राजस्व मण्डल बनकुइया तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) हाल पता नायब तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा (म0प्र0)

-----गैरनिगराकारगण

श्री. तुलसीदास मिश्रा  
 द्वारा बनाया दिनांक 27-6-16  
 प्रस्तुत किया गया।  
 [Signature]  
 सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी बिरुद्ध आदेश प्रकरण क्रमांक 2/अमर/15-16 आदेश दिनांक 2/2/2016 सीमांकन व नक्शा तरमीम तहसीलदार वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर के बिरुद्ध की जा रही है।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50(2) म0प्र0भू0रा0संहिता।

मान्यवर,

निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :-

हरी शर्मा  
 तुलसीदास मिश्रा  
 [Signature]



[Signature]  
 दि 30/6/16  
 1-12-2016

[Signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग05284- II / 2016

जिला-रीवा

नन्देश्वर प्रसाद शुक्ला / विनोद पाण्डेय

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री तुलसीदास मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, वृत्त बनकुइयां तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 02/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 02.02.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p>	<p>(बी.एम.शर्मा), सदस्य</p>